कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34851/2017 दिनांकः 14-5-2019

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र ।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा ।

विषयः– दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 के मध्य रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से वेतन नियतन किये जाने एवं उनकी वसूली करने तथा संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान,2008 में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशो के विरूद्ध अनियमित वेतन स्थिरीकरण के प्रकरणो में हुए अधिक भुगतान की वसूली करने सम्बन्धी प्रकरणो के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– राज्य सरकार का पत्रांक प.7 (39)/शिक्षा–2/2019 जयपुर दिनांक 08.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक संलग्न पत्र के द्वारा वेतन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत दी गई वित्तीय राय के अनुसार प्रकरणो का निस्तारण करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयो को निर्देशित किया जावे ।

संलग्नः– प्रासंगिक पत्र

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–
1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर
3. सहायक निदेशक, संस्थापन ए–बी, सी, एफ अनुभाग ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

स्थिरीकरण / Copy निजी

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

10-05-19

क्रमांक : प. 7(39)शिक्षा–2/2019 जयपुर, दिनांक : 8-5-19

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

709 2019

विषय : दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 के मध्य रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से वेतन नियतन किये जाने एवं उनकी वसूली करने तथा संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के विरूद्ध अनियमित वेतन स्थिरीकरण के प्रकरणों में हुए अधिक भुगतान की वसूली करने सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक–शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34851/2017 दिनांक – 24.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में **'वित्त (नियम) विभाग'** द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार प्रदान की जाती है

1 दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 के मध्य रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से वेतन नियतन किये जाने एवं उनकी वसूली करने संबंधी प्रकरण में मार्गदर्शन चाहा गया था उक्त प्रकरण का परीक्षण कर यह राय /मार्गदर्शन प्रदान किया था कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची–V में दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया गया प्रारम्भिक वेतन उन कर्मचारियों को देय था जिनके द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि दिनांक 01.07.2013 या इसके बाद सफलतापूर्वक पूर्व की गई हो। अतः जो कर्मचारी दिनांक 01.07.2013 से पूर्व ही प्रोबेशनर ट्रेनी पूर्ण कर पद का वेतन प्राप्त कर रहे थे उनका संशोधित ग्रेड–पे के अनुसार वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम –28 के प्रावधानानुसार किया जाना था। नियम–28 के स्थान पर दिनांक 01.07.2013से संशोधित अनुसूची–V में निर्धारित प्रारम्भिक वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाना त्रुटिपुर्ण था और इस त्रुटिपुर्ण वेतन निर्धारण के कारण ही अधिक भुगतान की गई राशि को वसूल किया जाना है।

2. दूसरे प्रकरण के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण के संबंध में राय चाही गई थी। जिसके संबंध में यह सूचित किया था कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम –24 के परन्तुक में राज्य कर्मचारी को प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में समय–समय पर नियत

www.rajteachers.com

पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में पुर्ण होने पर राजस्थान सेवा नियम–26 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है। अतः राजकीय सेवा में पुर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की यदि सीधी भर्ती से अन्य पद पर नियुक्ति होती हैतो ऐसे कर्मचारी को राजस्थन सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 की अनुसूची–V में निर्धारित प्रारम्भिक वेतन देय है। यदि कर्मचारी पूर्व से ही उक्त प्रारम्भिक वेतन से अधिक रनिंग पे–बैण्ड प्राप्त कर रहा है तो ऐसे कर्मचारी को पूर्व पद के विद्यमान रनिंग पे–बैण्ड का वेतन देय है तथा उक्त रनिंग पे–बैण्ड वेतन के साथ नये पद के लिए निर्धारित ग्रेड–पे देय है।

उपरोक्तानुसार 'वित्त विभाग' द्वारा विभाग को उक्त तथ्यों को अवगत कराते हुए यह सूचित किया जाता है कि इस प्रकार भिन्न–भिन्न प्रकृति के हैं, एक समान नहीं हैं। 'वित्त (नियम) विभाग' द्वारा पूर्व में प्रदान की गई राय में कोई विरोधाभास नहीं है,

अतः कृपया आप द्वारा प्रेषित उक्त पृथक–पृथक प्रकरणों में 'वित्त विभाग' द्वारा पूर्व में प्रदत्त पृथक–पृथक राय के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

भवदीय

(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव–शिक्षा

www.rajteachers.com